

**पराशरस्मृति का धार्मिक और सामाजिक महत्त्व****डॉ दीपिका शर्मा**

असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय

**सारांश**

पराशरस्मृति का धार्मिक और सामाजिक महत्त्व पराशर स्मृति एक प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथ है, जो पराशरमुनि द्वारा रचित है। यह ग्रंथ धार्मिक और सामाजिक महत्त्व का स्रोत है, जिसमें व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। पराशरस्मृति हिंदू धर्म के सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। व्यक्ति के जीवन को धार्मिक और नैतिक दृष्टि से सुधारने में मदद करता है, मोक्ष की प्राप्ति के तरीकों को बताता है। विभिन्न वर्णों और आश्रमों के कर्तव्य और अधिकार को बताता है।

वस्तुतः पराशरस्मृति मानव जीवन का सिद्धान्तिक धर्मशास्त्र है। विना धर्म के मनुष्य मात्र का जीवन जीवन नहीं होता। जीवन के पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करने के लिय पराशरस्मृति में कर्म शास्त्रीय संहिता समग्र मनुष्यों के लिय मानवीयशास्त्र है। अतः उसका सामाजिक महत्त्व सर्वदा अनुकरणीय है।

**\*धार्मिक महत्त्व** - पराशरस्मृति में धर्म की परिभाषा और इसके महत्त्व के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि धर्म का अर्थ है कर्म, जो व्यक्ति को भगवान के साथ जोड़ता है। पराशरस्मृति में विभिन्न धर्मों के बीच समानता और एकता का महत्त्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है, जो है भगवान की प्राप्ति।

पराशरस्मृति में कर्म, धर्म और मोक्ष के संबंध के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि कर्म के माध्यम से व्यक्ति धर्म की प्राप्ति कर सकता है, और धर्म के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है।

**\*सामाजिक महत्त्व** - पराशरस्मृति में सामाजिक न्याय और समानता के महत्त्व के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी व्यक्ति समान हैं और उन्हें समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। पराशरस्मृति में विभिन्न वर्णों और जातियों के बीच समानता और एकता का महत्त्व बताया गया है।

पराशरस्मृति में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के महत्त्व के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है, कि शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करती है, स्वास्थ्य व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है, और सामाजिक कल्याण व्यक्ति को सुख प्रदान करता है।

निष्कर्षतः पराशरस्मृति एक महत्वपूर्ण धर्मग्रंथ है, जो धार्मिक और सामाजिक महत्त्व का स्रोत है। इसमें व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया गया है, जो आज भी प्रासंगिक हैं। पराशरस्मृति का अध्ययन करने से व्यक्ति को धार्मिक और सामाजिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जो उसके जीवन को सुधारने में मदद कर सकता है।

### परिचय

पराशरस्मृति हिंदू धर्म के प्रमुख स्मृति ग्रंथों में से एक है। इसमें धार्मिक, सामाजिक, और नैतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। धर्मप्राण भारतीय समाज की समस्त सामाजिक व्यवस्थायें धर्म के साथ सम्पृक्त होकर मानव के लिए मार्ग प्रदर्शन का कार्य करती हैं। वेद भारतीय साहित्य और संस्कृति के अमूल्य निधि हैं। ये मानव को समाज के अनुकूल आचरण करने की शिक्षा प्रदान करते हैं। किन्तु ये मानवों के आचार को सुव्यवस्थित ही नहीं करते बल्कि इनका प्रतिपाद्य क्षेत्र बहुआयामी है। स्मृति ने उन्हीं आचारगत नियमों से एकत्र कर उसको एक सुसम्बद्ध स्वरूप प्रदान किया। वेदों अथवा श्रुतियों के सिद्धान्तों की इसमें व्याख्या हुई। कदाचित इसी कारण से कालिदास ने 'रघुवंशम्' में स्मृतिग्रन्थों को श्रुतियों का अनुसरण करने वाला कहा है- 'श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरनवगच्छत्। (रघुवंशम् 2-2) 1

स्मृति शब्द स्मृ+कृत्+त् से निष्पन्न है जिसका तात्पर्य स्मरण और प्रत्यस्मरण आदि से है। अतः स्मृति स्मरण का विषय है और यह परम्परागत रूप से चला आ रहा धार्मिक साहित्य है। तैत्तिरीय आरण्यक में भी 'स्मृति' शब्द का प्रयोग हुआ है। स्मृति शब्द को श्रुति से विपर्यास प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया गया है। पुरातन काल में लेखन परम्परा की अनुपलब्धता के कारण ऋषि अर्जित ज्ञान से अपने शिष्यों को कण्ठस्थ करा देते थे। यह परम्परा कुछ काल तक अनवरत रूप से चलती रही। शिष्य को सुनाकर कण्ठस्थ करा दिए जाने के कारण से श्रुति परम्परा का ग्रन्थ माना गया। इस परम्परा के अन्तर्गत चारों वेद आते हैं। किन्तु स्मृति शब्द का प्रयोग ऋषि प्रकाशित अथवा ऋषि दृष्ट वाङ्मय (श्रुति) से भिन्न अर्थ के लिए हुआ है। इसका सीधा तात्पर्य स्मरण से है। स्मृति का श्रुति परम्परा से स्पष्ट भेद किया जा

सकता है। स्मृति स्मरण शक्ति को प्रभावित करती है। इसके लिए किसी विशेष शिखा या साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।'

स्मृति शब्द से पारिभाषिक और सामान्य दोनों अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। गौतम और बोधायन ने स्मृति को 'वेद को जानने वालों का स्मरण' माना है।' पूर्ववर्ती आचार्यों की व्याख्या को स्वीकार करते हुए मनु ने भी स्मृति शब्द का अर्थ 'वेदजों का स्मरण' माना और उसका प्रयोग धर्मशास्त्र के अर्थ में किया है। धर्मशास्त्रकारों का ये विचार अत्यन्त संकुचित प्रतीत होता है।

पी.वी. काणे ने स्मृति का व्यापक अर्थ ग्रहण किया है। उनके मतानुसार 'स्मृति का तात्पर्य वेद वाङ्मय से इतर ग्रंथों तथा पाणिनीय व्याकरण, श्रौतसूत्र , गृह्यसूत्र और धर्मसूत्रों, महाभारत, मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्यस्मृति और अन्य ग्रंथों से है।' किन्तु सामान्यतः स्मृति का तात्पर्य संकुचित अर्थ में केवल स्मृति ग्रंथों से ही लिया जाता है -यथा मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति आदि।

**"श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः. । एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद् धर्मस्य लक्षणम्।।"** (मनुस्मृति 2/12 )

अर्थात् धर्म का प्रथम आधार श्रुति है। अतः भारतीय संस्कृति में श्रुति को भी परम प्रमाण माना गया है। श्रुति से अविरोध कर रही स्मृति को भी प्रमाण कहा गया है । सदाचार के अन्तर्गत कई कर्तव्यों को जोड़ दिया गया है। भारतीय संस्कृति व्यावहारिक आचार की शिक्षा को प्रमुखता देती है । शिष्ट कार्यों का अनुष्ठान ही आचार थी।

स्मृति ग्रंथों की प्राचीनता और परम्परा के सम्बन्ध में निर्णायक रूप से कुछ कह पाना बड़ा कठिन है। उपलब्ध स्मृति ग्रंथों में अनेक स्मृतिकारों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भी अन्य ग्रंथों तथा विदेशियों के यात्रा वृत्तान्तों में विविध स्मृति-ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। अलबेरूनी के अनुसार स्मृति वेद से उद्भूत है। ब्रह्मा के बीस पुत्रों ने बीस स्मृति ग्रंथों की रचना की। वे इस प्रकार हैं-आपस्तम्ब, पराशर, शतपथ (शातातप), सामवर्त, दक्ष, वशिष्ठ, अङ्गिरा, यम, विष्णु, मनु, याज्ञवल्क्य, अत्रि, हारीत, लिखित, शंख, गौतम, बृहस्पति, कात्यायन, व्यास और उशनस्।मनु और याज्ञवल्क्य की तरह पराशर ऋषि का भी उल्लेख वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में वे सत्यातु और वशिष्ठ के साथ उल्लिखित हैं। पराशर नाम अति प्राचीन है। तैत्तिरीयोपनिषद् में वे बृहदारण्यक मे क्रमशः व्यास पराशर्य एवं पाराशर्य नाम की चर्चा हैं। निरुक्त मे उन्हें वशिष्ठ का पुत्र बतलाया है। पाणिनि के अनुसार भी भिक्षुसूत्र नामक

ग्रंथ पराशर-कृत है। पराशरस्मृति की भूमिका में यह स्पष्ट कहा गया है कि ऋषि लोग ने व्यास के पास जाकर उनमें प्रार्थना की कि वे कलयुग में मानवों के लिए आचार-सम्बन्धी धर्म की बातें बतायें। व्यास जी उन्हें बदरिकाश्रम में शक्तिपुत्र अपने पिता पराशर के पास ले गए और पराशर ने उन्हें वर्णधर्म के विषय में बतलाया। अतः पराशरस्मृति एक अति प्राचीन स्मृति है। क्योंकि याज्ञवल्क्य ने प्राचीन धर्मवेत्ताओं के रूप में पराशर की गणना की है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपलब्ध प्राचीन प्रति का संशोधित रूप है गरुडपुराण ने पराशरस्मृति के 39 श्लोकों का सारांश लिया है। तुलना करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि पराशर के श्लोकों का अक्षरशः अथवा कुछ परिवर्तन के साथ आशय लिया गया है। कौटिल्य ने पराशर या पराशरों के विचारों का छः बार दिग्दर्शन कराया है। पराशर ने राजनीति पर भी लिखा था इससे यह स्पष्ट हो जाता है। महाभारत में पराशर व्यास के पिता के रूप में चित्रित है। एतदर्थ व्यास को पराशर्य अथवा पाराशरि कहा जाता है। अतः पराशरस्मृति पर्याप्त प्राचीन है।

पराशर का काल-निर्णय विवादास्पद है। पी.वी. काणे ने लिखा है कि 'विश्वरूप मिताक्षरा अपरार्क, स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि ने पराशर को अधिकतर उद्धृत किया है। इससे स्पष्ट है कि नई शताब्दी में यह स्मृति विद्यमान थी। इसे मनु की कृतियों का ज्ञान था।

अतः यह प्रथम शताब्दी तथा पांचवीं शताब्दी के मध्य में कभी लिखी गई होगी। पिछले पृष्ठों में यह कहा गया है कि स्मृतियों का पौर्वाचर्य का निर्धारण करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। एतदर्थ उनका काल भी विवाद के जाल में फँस जाता है। इसका प्रमुख कारण एक ही नाम से भिन्न-भिन्न ग्रंथों में पाया जाता है। पराशर के काल-निर्णय में प्रायः सभी ने डॉ. काणे के मत का समर्थन किया

हैं। अतः इनका मत अत्यधिक समीचीन प्रतीत होता है।

पराशर नाम पर कई स्मृति ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। एक बृहत्पराशर-संहिता भी है जिसे बारह अध्याय और 3300 श्लोक हैं। लेकिन यह बाद की रचना प्रतीत होती है। यह पराशर स्मृति का संशोधन है। इसमें विनायकस्तुति की गई है। इस संहिता को मिताक्षरा, विश्वरूप या अपरार्क। उद्धृत नहीं किया है। लेकिन चतुर्विंशति मत के भाष्य में भट्टोजिदीक्षित तथा दत्तकमीमांसा में नन्द पण्डित ने इससे उद्धरण लिया है। अपरार्क के द्वारा एक पराशरनामी स्मृति का उल्लेख है जिसे बृहत्पराशर कहा जाता है। किन्तु यह पराशरस्मृति एवं बृहत्पराशर से भिन्न स्मृति है। हेमाद्रि और भट्टोजिदीक्षित द्वारा ज्योति पराशर का उल्लेख है जिससे वे उद्धरण लिए हैं। परन्तु पराशर स्मृति के नाम से जो मान्य स्मृति ग्रंथ है उसमें

बारह अध्याय तथा 593 श्लोक है। इसमें चातुर्वर्ण्याचारादि कथन, सभी वर्षों का साधारण धर्म निरूपण आचार एवं विधि प्रकार के प्रायश्चित्त का विवेचन है। इस ग्रंथ का कई बार प्रकाशन हो चुका है। इस पर माधव की विस्तृत टीका अधिक प्रसिद्ध है। पराशर ने अन्य 19 स्मृतिकारों का नाम गिनाया है। पराशर में कुछ विलक्षण बातें पायी जाती हैं- केवल चार प्रकार के पुत्र (औरस, क्षेत्रज, दत्त और कृत्रिम)। यद्यपि यह ग्रंथ से स्पष्ट नहीं हो पाता कि वे अन्यों को नहीं मानते। सती प्रथा की उन्होंने खूब स्तुति की है। पराशर ने अन्य धर्मशास्त्रों के मतों की चर्चा की है। मनु का नाम कई बार आया है। बौधायन धर्मसूत्र की बहुत सी बातें पायी जाती हैं। पराशर ने उशना, प्रजापति, वेद, वेदांग, धर्मशास्त्र स्मृति आदि की स्थान-स्थान पर चर्चा की है।

पराशरस्मृति के रचयिता महर्षि पराशर एक प्राचीन ऋषि हैं, लेकिन उनके नाम से उपलब्ध स्मृति वाद की रचना प्रतीत होती है। पराशर ने अपने स्मृतिग्रंथ में आचार और प्रायश्चित्त का विशद विवेचन किया है, किन्तु दैनन्दिन जीवन के लिए सर्वथा उपयोगी व्यवहार पक्ष को लगभग छोड़ दिया है। मानवों के लिए अकार्य श्रेणी के विषयों की विवेचना विस्तृत रूप से हुई है। वस्तुओं की उपादेयता और हेयता का भी विस्तृत वर्णन है। कौन-सा आचरण स्वीकार्य है और कौन-सा त्याज्य अथवा कौन-सा वस्तु ग्राह्य और अग्राह्य है इस विषय का प्रतिपादन सम्यक् ढंग से हुआ है। राजा के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि 'क्षत्रिय को चाहिए कि प्रजा की रक्षा करे। हाथ में शस्त्र धारण किए ही रहे। दण्ड भलीभाँति दे और दूसरे की सेनाओं को जीतकर धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करे।

**“क्षत्रियो हि प्रजारक्षन शस्त्रप्राणिः प्रदण्डवान्।**

**निर्जित्य परसैन्यानि क्षितिं धर्मेण पालयेत्॥”** (पराशरस्मृति 1-66)

अर्थात् क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे । इसीलिए उसे शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए।”

इसी क्रम में उन्होंने लक्ष्मी को कुक्रमानुगत न मानकर शस्त्रोपार्जित माना है और वीरभोग्या वसुन्धरा का सिद्धान्त स्थापित किया है-

**“न श्रीः कुलक्रमाज्जाता भूषणोलिलिखिताऽपि वा।”**

**खड्गेनाक्रम्य भुञ्जीत वीरभोग्या वसुन्धरा।”** (पराशरस्मृति 1-67)

अर्थात् किसी के कुल में परम्परा से लक्ष्मी नहीं जन्मी हैं, और न किसी के भूषण में लिखी (खुदी हुई) हैं। इस हेतु अपने खड्ग के बल से लेकर उसका भोग करे; क्योंकि वसुन्धरा वीरों ही के भोगने के योग्य है ॥

वैश्यों और शूद्रों की वृत्तियों का भी पराशर ने उल्लेख किया है। कृषि कार्य करने वाले लोगों के लिए यह विधान बतलाया गया है कि किस प्रकार के पशुओं को हल में जीते और किस प्रकार को नहीं जोते। मध्य और मांस बेचने अभक्ष्य के भक्षण करने और अगम्य स्त्री का गमन करने से शूद्रों का पतन हो जाना और वेद अक्षरों का विचार करने से नरकगामी होना (शूद्रस्य नरक ध्रुवम्) इस बात की ओर संकेत करते हैं कि मनु की तरह ये भी उनके प्रति अधिक कठोर हैं। यह संकेत व्यवस्थाओं में तो परिलक्षित होते ही हैं, सांस्कृतिक सामग्री में भी झलकते हैं। ये शासन व्यवस्था और राजनीति, धार्मिक विश्वास और सम्प्रदाय, सामाजिक स्थिति, आर्थिक जीवन, शिक्षा पद्धति आदि अनेक क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं।

लेकिन इस आरोप का परिष्कार किया जा सकता है। विधि और विधान किसी काल की सांस्कृतिक परिस्थितियों को परिलक्षित करने में कितने समर्थ होते हैं यह विचारणीय है विधि में एक आदर्श विधान होता है जो भविष्य की गतिविधियों और परिस्थितियों को नियमित करने का प्रयास करता है। विधि, देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप होती है। वह कल्पना लोक में नहीं विचरती। अतीत के परिवर्तन और विकास के परिणामस्वरूप ही ये होते हैं। इस सम्बन्ध में कहा गया है कि 'वे तत्कालीन यथार्थ से सीधे जुड़े होते हैं। वे समकालीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ही बनाये जाते हैं। विधि की व्यवस्था कदम-कदम पर अपने काल की दिशा की ओर संकेत करती है, उसी को व्यवस्थित और नियमित करना चाहती है। इस काल की दशा की पृष्ठभूमि में ही उसे हम समझ सकते हैं।"

अकार्य कृत्तियों के किए जाने पर उसका प्रायश्चित और दण्ड का विस्तार से उल्लेख पराशर ने किया है। संभव है उनके समय तक सामाजिक परिस्थितियों के कारण सती प्रथा की अनिवार्यता हो गयी हो।

### **धार्मिक महत्त्व**

यह ग्रंथ धार्मिक महत्त्व का स्रोत है, जिसमें व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। भारतवर्ष को धर्मप्राण भूमि कही गई है। जितने भी कार्य इस जगत में होते हैं सभी धर्म की रीति से हुआ करते हैं।

इस विषय में महर्षियों के विचार भिन्न-भिन्न हैं। वैशेषिकसूत्र के अनुसार धर्म की परिभाषा इस प्रकार है-

'यतोऽभ्युदयनिः श्रेयससिद्धिः स धर्मः ' ॥

तैत्तिरीय श्रुति का कथन है-

'धर्म आचार्यो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा'।

जैमिनि के अनुसार धर्म का लक्षण इस प्रकार है-

'चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः'।

हमारे महर्षियों ने धर्म का स्वरूप जानने के लिए वेद को मुख्य साधन बतलाया है। यथा-

'धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ।

द्वितीयं धर्मशास्त्राणि तृतीयं लोकसङ्ग्रहः ' ॥

(महाभारत-आश्वमेधिकपर्व)

'वेदो धर्ममूलं तद्विदां च स्मृतिशीले'।(गौतमधर्मसूत्र)

'धर्मज्ञसमयः प्रमाणं वेदाश्च'। (आपस्तम्बधर्मसूत्र )

धर्म की परिभाषा-पराशरस्मृति में धर्म की परिभाषा के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि धर्म का अर्थ है कर्म, जो व्यक्ति को भगवान के साथ जोड़ता है। धर्म के तीन प्रमुख पहलू हैं: 1.कर्म(क्रिया), 2. उपासना(पूजा), 3.स्वाध्याय(अध्ययन)

**कर्म का महत्त्व -**

पराशरस्मृति में कर्म के महत्त्व के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि कर्म व्यक्ति को भगवान के साथ जोड़ता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति में मदद करता है। कर्म के तीन प्रमुख प्रकार हैं: 1.नित्य कर्म (दैनिक कर्म), 2. नैमित्तिक कर्म (विशेष अवसरों पर किए जाने वाले कर्म), 3. काम्य कर्म (इच्छा पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म)

**उपासना का महत्त्व**

पराशर स्मृति में उपासना के महत्त्व के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि उपासना व्यक्ति को भगवान के साथ जोड़ती है और उसे शांति और सुख प्रदान करती है। उपासना के तीन प्रमुख प्रकार हैं:-1.मंत्र उपासना,2.यज्ञ उपासना,3. देवता उपासना

### **स्वाध्याय का महत्त्व -**

पराशरस्मृति में स्वाध्याय के महत्त्व के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि स्वाध्याय व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति में मदद करता है।स्वाध्याय के तीन प्रमुख प्रकार हैं:-

1.वेद अध्ययन,2. उपनिषद अध्ययन,3. पुराण अध्ययन ।

स्वाध्याय से धर्म और कर्म की व्याख्या वर्ण व्यवस्था और आश्रम धर्म,पूजा और अनुष्ठान की विधि,मोक्ष और आत्म-साक्षात्कार की प्राप्ति होती है।

### **सामाजिक महत्त्व**

सामाजिक न्याय और समानता परिवार और विवाह की महत्ता शिक्षा और ज्ञान का महत्त्व राज्य और शासन की व्यवस्था,मानवों के दैनन्दिन जीवन के पक्षों का विस्तृत उल्लेख करने के कारण समाज ने पराशरस्मृति को कलियुग के लिए प्रधानस्मृति मान लिया –“कलौ पराशर स्मृतः। “

पराशरस्मृति सामाजिक महत्त्व पराशरस्मृति एक प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथ है, जो सामाजिक महत्त्व का स्रोत है। इसमें सामाजिक न्याय, समानता, और मानवाधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

**सामाजिक महत्त्व के क्षेत्र** सामाजिक न्याय: पराशर स्मृति में सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। समानता: इसमें सभी व्यक्तियों की समानता का उल्लेख किया गया है। मानवाधिकार: पराशरस्मृति में मानवाधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया है।सामाजिक संरचना: इसमें सामाजिक संरचना के बारे में विस्तार से बताया गया है। पराशरस्मृति में शिक्षा के महत्त्व का उल्लेख किया गया है।

### **सामाजिक मूल्य**

1.अहिंसा,2.सत्य,3.अस्तेय,4.ब्रह्मचर्य,5.दया,6.करुणा और 7.सहानुभूति

### **पराशरस्मृति का प्रभाव**

भारतीय समाज पर प्रभाव, सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना,मानवाधिकारों की रक्षा करना,शिक्षा के महत्त्व को बढ़ावा, सामाजिक संरचना को आकार देने में मदद करना । पराशरस्मृति एक

महत्वपूर्ण धर्मग्रंथ है, जो सामाजिक महत्व का स्रोत है। इसका अध्ययन करने से हमें सामाजिक न्याय, समानता, और मानवाधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है। हमें पराशरस्मृति के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए और समाज में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना चाहिए।

### निष्कर्ष:

पराशरस्मृति हिंदू धर्म (सनातन धर्म) के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसका महत्व आज भी बना हुआ है और यह ग्रंथ हिंदू समाज के लिए एक मार्गदर्शक है। मनु और याज्ञवल्क्य की महत्ता अधिक है फिर भी अन्य स्मृतिकारों में महर्षि पराशर को महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी माना गया है। पराशरस्मृति एक महत्वपूर्ण धर्मग्रंथ है, जो हिंदू धर्म के सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। इसमें व्यक्ति के जीवन को धार्मिक और नैतिक दृष्टि से सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण नियम और सिद्धांत दिए गए हैं। पराशरस्मृति सनातन धर्म का संविधान है। जिस प्रकार भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्र का शासन एवं प्रशासन चलता है उसी प्रकार पराशरस्मृति के सिद्धान्तों और व्यवस्थाओं के द्वारा समग्र दुनिया का मानवीय संविधान चलता है। मानवीय संविधान जब तक पराशर आदि स्मृति शास्त्रों का अनुकरण करके नहीं चलेगा तब तक इस दुनिया से कोई भी मनुष्य मात्र अपने जीवन के मूल्यों, आदर्शों व्यावहार को कुशलता से आदर्शपूर्ण आचरण को स्थापित नहीं कर सकता है। अतः मनुष्यमात्र का परम कर्तव्य है कि वह महामुनि पराशर द्वारा विरचित धर्मशास्त्रीय संहिता का अध्ययन करे और अपने जीवन के परमलक्ष्य को प्राप्त करें।

### संदर्भ %

1. कृष्णमणि त्रिपाठी,
2. ( 2015) रघुवंशम् - सर्ग 2 - 2, चौखंबा सुरभारती प्रकाशन ।
3. वी.एस. आम्टे, संस्करण (2022) संस्कृत हिन्दी कोश, पृ.1153, चौखम्भा विथा भवन ।
4. अनु, उमेशचन्द्र पाण्डेय, (1967)
5. याज्ञवल्क्यस्मृति, पृ. 27, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-1 ।
6. अनु. उमेश चन्द्र पाण्डेय, (1968) अल्फ्रेक्ट, वेबर, भारतीय साहित्य इलाहाबाद, , पृ.27 - चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी 14 ।
7. व्याख्याता नरेन्द्रकुमार, (2021) गौतमार्थमसूत्र 1-2, विद्यानिधि प्रकाशन दिल्ली ।
8. गोविन्दस्वामी, (2015) बौधायनधर्मसूत्र-1-1, ज्ञानप्रकाशन।

9. कुल्लुकभट्टविरचित, संपादक राकेशशास्त्री, (2017) मनु-2-10 -विद्यानिधि प्रकाशन।
10. मैत्रेयी देशपांडे द्वारा, संपादित (2023) तैत्तिरीय आरण्यक (1-2) एवं पूर्व मीमांसा 6-8-23, 12-4-24 प्रकाशक- न्यू भारतीय पुस्तक निगम ।
11. कृष्णद्वैपायन वेदव्यासेन, (संस्करण:2016) वेदान्तसूत्र 3-1-14-21, 4-2-14 गौडीय वेदांत प्रकाशन ।
12. पी.वी.काणे,(1962), धर्मशास्त्र का इतिहास भाग 1, पृ. 40, प्रकाशन भण्डाकर ओरिएण्टल अनुसंधान संस्थान ।
13. गिताप्रेस गोरखपुर, (2020) गरुडपुराण अध्याय-107, गिताप्रेस गोरखपुर ।
14. पाण्डुरंग वर्मा काणे, (2014) धर्मरणस्व का इतिहास भाग 1. पृ. 55, प्रकाशक- आर.सी. गुप ।
15. रामचन्द्र वर्मा शास्त्री, (द्वितीय संस्करण १९९८) पराशरस्मृति अध्याय-1, श्लोक 66-67 प्राप्तिस्थान चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन-०१ ।
16. राजदेव दूवे,
17. स्मृतिकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति प्राक्कथन-पृ. 6, डायनेमिक पब्लिकेशंस (इण्डिया), मेरठ (उ.प्र.)।